UPUN010030222026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4 उन्नाव।

अग्रिम जमानत प्रा0पत्र सं0:–**1257/2026**

रामकुमार उर्फ शिवकुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम भादिन थाना असोहा जिला उन्नाव। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1–सरकार उ0प्र0 द्वारा डी0जी0सी0 क्रिमिनल, उन्नाव।
2–केशवती उम्र 40 वर्ष पत्नी स्व0 वाल्मीकि निवासिनी ग्राम कोड़रा (भादिन) थाना पुरवा जिला उन्नाव। .....विपक्षीगण।

मु0अ0सं0–273/2022,
धारा–406,420,504,506 भा0दं0सं0,
थाना–असोहा,
जिला–उन्नाव।

दिनांक–09.06.2026

1– आवेदक/अभियुक्त रामकुमार उर्फ शिवकुमार की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–272/2022, धारा–406,420,504,506 भा0दं0सं0, थाना–असोहा, जिला–उन्नाव के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र रामकुमार उर्फ शिवकुमार का इस आशय का दाखिल किया गया है कि शपथी उपरोक्त पते का निवासी है तथा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त नामित है। शपथी ने स्वयं की अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसके सम्पूर्ण विषय को शपथी इस शपथपत्र के माध्यम से सत्यापित करता है। शपथी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। यह शपथी का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी केशवती द्वारा यह कहते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि "प्रार्थिनी केशवती के पति बाल्मीकि की दिनांक 12.05.2019 को इलाहाबाद में पेठा बनाने का काम करते समय गर्म पानी में गिरने से मृत्यु हो गयी थी। प्रार्थिनी के पति की मृत्यु के बाद प्रार्थिनी ने शिवकुमार उर्फ रामकुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम भादिन थाना पुरवा जिला उन्नाव के द्वारा किसान दुर्घटना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन करा दिया। उसके बाद दिनांक 25.09.2019 को दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स द्वारा प्रार्थिनी के खाते में दुर्घटना राशि 5,00,000/–रूपये भेज दिया गया था। प्रार्थिनी अशिक्षित है। प्रार्थिनी को उपरोक्त रामकुमार उर्फ शिवकुमार यह कहकर बैंक ले गया कि पैसा आपको मिल जायेगा और रामकुमार उर्फ शिवकुमार ने प्रार्थिनी के साथ धोखाधड़ी व छलकपट करके प्रार्थिनी के खाता संख्या 731310510001778 से

3,00,000/–रूपये शिवकुमार उर्फ रामकुमार ने अपने खाता संख्या 731310310000102 रामकुमार बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मिर्रीकलां में दिनांक 15.11.2021 को अपने खाते में ट्रान्सफर करा लिया और अब तक गुमराह करता रहा और कहता रहा कि अभी तुम्हारी फाइल बीमा कम्पनी द्वारा पास नहीं की गयी। काफी समय व्यतीत हो जाने पर प्रार्थिनी कचेहरी में अधिवक्ता के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय उन्नाव में जानकारी किया, उसके बाद प्रार्थिनी ने शिवकुमार उर्फ रामकुमार से अपने मु0 3,00,000/–रूपये वापस मांगा तो शिवकुमार उर्फ रामकुमार गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिया और कहा जो कुछ करना हो कर लो, तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा।" उक्त तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज किये जाने की प्रार्थना की।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, प्रार्थी निर्दोष है, उसे गलत हैरान व परेशान करने की गरज से रंजिशन मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो भी तथ्य दर्शाये गये है वह सब झूठे, बनावटी व कपोलकल्पित है। प्रार्थी एक सम्भ्रान्त व्यक्ति है उसका पूर्व में कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। शिकायतकर्ता व प्रार्थी एक ही ग्रामसभा के निवासी है तथा आपस में रिश्तेदार है। सम्पूर्ण तथ्य फर्जी व बनावटी है। मात्र प्रार्थी से धन उगाही के लिए झूठा मुकदमा लिखा गया है जबकि सत्यता यह है कि शिकायतकर्ता प्रार्थी के ही गांव की रहने वाली है। प्रार्थी उस दौरान एयरटेल पेमेन्ट बैंक संचालित करता था। शिकायतकर्ता का जन धन खाता बैंक में था जिसमें यह शर्त थी कि मात्र 10 हजार रूपया ही निकाला जा सकता था। शिकायतकर्ता को एक साथ अधिक रूपयों की आवश्यकता थी क्योंकि उसकी पुत्री की शादी थी। प्रार्थी ने अपने खाते से रूपया स्थानान्तरित कर शिकायतकर्ता को आवश्यकता अनुसार देता रहता था। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग एक वर्ष बाद पंजीकृत हुई। प्रार्थी/अभियुक्त ने दिनांक 14.11.2019 को शिकायतकर्ता से 3 लाख रूपये प्राप्त, किये तथा आवश्यकता अनुसार शिकायतकर्ता को निम्न तिथियों में रूपया दिया, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

क्रम सं0	दिनांक	रूपया भुगतान	किस कारण दिये
1	17.05.2020	15,000.00	मोबाइल लेने के लिए नगद
2	02.06.2020	20,000.00	आपरेशन (नगद)
3	24.06.2020	1,00,000.00	राजकुमार (वादिनी के भाई) खाते द्वारा
4	20.07.2020	32,000.00	एफ0डी0 के लिए
5	15.12.2020	49,000.00	मालती सिंह (वादिनी की रिश्तेदार) खाते द्वारा
6	24.12.2020	10,000.00	केशकली (नगद)
7	17.03.2021	18,000.00	जेवर लेने के लिए नगद
8	10.05.2021	30,000.00	नगद
	योग	**2,74,000.00**	

समस्त अपराध में सजा 7 वर्ष तक अधिकतम है जिसके कारण प्रार्थी जमानत पर रिहा किए जाने योग्य है। विवेचना के समय माननीय न्यायालय द्वारा शर्ते व नियम लगाये जायेंगे वह स्वीकार होंगे व प्रार्थी उनका पालन करेगा। समस्त अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। यह प्रार्थी का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी बाद अग्रिम जमानत छूटने पर न तो कहीं भागेगा और न ही गवाहान सबूत को तोड़ेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को ताफैसला मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

4— विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5— विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6— पत्रावली के सम्यक परिशीलन से यह स्पष्ट है कि

प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 02 दिन के विलम्ब से दर्ज कराई गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से जो बरामदगी व गिरफ्तारी दिखायी गयी है, उसका कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियोजन ने इस संबंध में भी कोई कथन नहीं किया कि अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा होने के उपरान्त गवाहों को डराया या धमकाया जा सकता है। यद्य पि अभियोजनपक्ष की ओर से अभियुक्त का आपराधिक इतिहास ही प्रस्तुत किया है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **सतीश उर्फ काकू बनाम उ0प्र0 राज्य निर्णय दिनांक–05.01.2024** में अवधारित किया गया है कि "यदि अभियुक्त को जमानत का पात्र पाया जाता है तो केवल आपराधिक इतिहास होने के आधार पर उसे जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता।" प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 16.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामला अवर न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेकद/अभियुक्त हस्सान उर्फ कासान का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1372/2026, मु0अ0सं0–73/2026, धारा–303(2),317(2),341(1) बी0एन0एस0, थाना–अचलगंज, जिला–उन्नाव स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर अभियुक्त द्वारा मु0–50,000/–(पचास हजार) रूपये की तस्दीकशुदा दो प्रतिभू व

इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व निम्न शर्तो की एक अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

2– अभियुक्त न्यायालय के समक्ष आरोप एवं बयान अन्तर्गत धारा 313 दर्ज किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अवश्य उपस्थित रहेगा।

3– अभियुक्त उपरोक्त न्यायालय के अनुमति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर नहीं जायेगा।

4– अभियुक्त अपना पासपोर्ट न्यायालय में जमा करेगें और यदि उसका पासपोर्ट नहीं है तो इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करेगा।

5– अभियुक्त उपरोक्त अभियोजन साक्षीगण को न तो डरायेगा, न धमकायेगा और न ही प्रतिकूलतः प्रभावित करेगा।

6– यह कि अभियुक्त अभियोजन साक्ष्यों से किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

यह अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जमानत की उल्लिखित उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो अभियोजन पक्ष को उसकी जमानत निरस्त करने के बाबत आवेदन देने का विकल्प होगा।

प्रभारी विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 4,
उन्नाव।
05.06.2026